***जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 20.11.2024***

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार***

● *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

● *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 238 वाहनों से 2,53,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनांक 20.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 238 वाहनों से 2,53,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 278/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. राधेश्याम पुत्र जोखू 02. उर्मिला गौड़ पत्नी राधेश्याम निवासीगण ग्राम बड़हरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को बड़हरा सड़क के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 07.09.2024 को वादी राम सुभग पुत्र चिनकाई निवासी केशौली थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज द्वारा थाना बखिरा पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 10.7.2024 को राहुल पुत्र राधेश्याम ग्राम बड़हरा थाना बखिरा संतकबीरनगर के साथ अपनी पुत्री की शादी हिन्दू रीति रिवाज से किया था किंतु पति एवं ससुर सास और देवर द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसको आए दिन प्रताड़ित करते थे तथा दहेज की मांग को लेकर उसको जान से मार दिया गया है के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 20.11.2024 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, म0का0 कुमारी सुनीता।

***“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 20.11.2024 को ***मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना महुली*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 178/2021 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त बृजलाल यादव पुत्र रामभवन निवासी देवकलीकला थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभि0 को तीन माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभि0 द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि उसकी सजा में समायोजित की जाएगी।